



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267520
CG-DL-E-10112025-267520

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4904]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2025/कार्तिक 16, 1947

No. 4904]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025/KARTIKA 16, 1947

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

का. आ . 5059(अ).—एकेएडी. केन्द्र सरकार सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 17 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसओ 197(ई), का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो भारत सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, और निर्देश देती है कि उक्त अधिकारी क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर और उक्त तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक स्थान के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

तालिका

अधिकारी का नाम और पदनाम (1)	परिसर की श्रेणियाँ और अधिकार क्षेत्र की सीमाएँ (2)
श्रीमती पी एस प्रमिला, उप निदेशक, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान , चेन्नई	तमिलनाडु के चेन्नई और चेंगलपेट जिलों में स्थित कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी भवन और संपत्तियां

[फा. संख्या एकेडी- 21/10/2021-एकेएडी]

अमिता प्रसाद सरभाई, अपर सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th of November, 2025

S.O. 5059(E).- Akad. In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Culture vide number S.O. 197(E), dated 17th January, 2017 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below being a gazetted officer of the Government of India to be estate officer for the purpose of the said Act, and directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act, within the limits of jurisdiction and in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Name and designation of the officer (1)	Categories of premises and limits of the jurisdiction (2)
Smt. P.S. Pramila, Deputy Director, Kalakshetra Foundaiton, Chennai.	All buildings and properties under the administrative control of the Kalakshetra Foundation located in Chennai and Chingleput districts of Tamil Nadu.

[F. No. Akd- 21/10/2021-Akad.]

AMITA PRASAD SARBHAI, Addl. Secy.